न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020 / 00016

जसबीर सिंह उर्फ कालू लाल आत्मज भाग सिंह जाति जट सिक्ख निवासी तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान आत्मज स्व0 कल्याण जाति लोधा निवासी ग्राम अलकोदिया तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. हीरालाल आत्मज स्व0 कल्याण जाति लोधा निवासी सरकारी स्कूल के सामने ग्राम अलकोदिया तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. पन्ना लाल आत्मज स्व0 कल्याण जाति लोधा निवासी सरकारी स्कूल के सामने ग्राम अलकोदिया तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 26.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 03 किता की रकबा 20 बीघा 02

बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खाते में दर्ज है । पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । इसी प्रकार ग्राम अलकोदिया तहसील तालेडा में कुल 06 किता की रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी हनुमान, हीरालाल, पन्ना लाला पिसारान कल्याण, मांगी बाई, कान्ही बाई पुत्रियॉ कल्याण के नाम दर्ज है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के हिस्से में साढे तीन बीघा भूमि आई है । प्रार्थी खसरा नम्बर 386 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा में से नहर के पास साढे तीन बीघा भूमि पर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है । प्रार्थी द्वारा आज से लगभग 5–6 वर्ष पहले अप्रार्थी क्रम 01 से रकम उधार ली थी जिसे प्रार्थी द्वारा मय ब्याज अदा कर दिया गया है । उक्त रकम उधार का लेख अप्रार्थी जसवीर सिंह के पास था जिसे उसने प्रार्थी को वापस नहीं लौटाया है । अप्रार्थी क्रम 01 का प्रार्थी के खाते की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी से जबरन धोखाधडी पूर्वक लिखवाये गये स्टाम्प के आधार पर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के खाते एंव कब्जे की हिस्से की साढे तीन बीघा भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 01 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के खाते, कब्जे एवं हिस्से की खसरा नम्बर 386 की साढे तीन बीघा नहर के पास की भूमि में जबरन कब्जा नहीं करे, उक्त भूमि से प्रार्थी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करें और प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी क्रम 01 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने यह साबित कर दिया था कि खसरा नम्बर 386 की 03 बीघ 10 बिस्वा भूमि को अपीलान्ट ने जरिये इकरारनामा क्रय किया है उस सम्पत्ति पर वह लम्बे समय से काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट का ही कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारां पारित निर्णय आदेश दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा में स्थित है जिसका खतौनी संख्या नया 337 पुराना 329 में कुल 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खतौनी संख्या नयी 210 में कुल 21 बीघा 09 बिस्वा ग्राम अल्कोदिया में स्थित है । खसरा नम्बर 386 की 03 बीघा 10 बिस्वा आराजी अपीलान्ट ने पूर्व में प्रचलन के अनुसार क्रय की है और इस पर काबिज चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट ने दावे के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था और अपीलान्ट ने जवाबदेही में यह कथन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 386 की 03 बीघा 10 बिस्वा का वो सद्भावी क्रेता है इस पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं होने के बावजूद भी उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । बिना कब्जे के अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक हैं और काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट ने कोई विधिक दस्तावेज इस आराजी के क्रय के बाबत् पेश नहीं किये हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 (4) पेज 1515, आरआरटी 2011 (2) पेज 1253, डीएनजे 2017 (एससी) पेज 675 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका जवाब अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया है । पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी के अनुसार रेस्पोडेन्ट एवं अन्य सहखातेदारान के खाते में ग्राम अल्कोदिया में खाता संख्या नया 210 में कुल 06 किता की 21 बीघा 09 बिस्वा और ग्राम बरूंधन में कुल 03 किता की 20 बीघा 02 बिस्वा आराजी दर्ज है । पत्रावली पर एक बेचाननामे की फोटो प्रति भी संलग्न है जो न तो पंजीकृत है और न ही पूर्ण मुद्रांकित है ।

11. अपीलान्ट का यह कथन है कि खसरा नम्बर 386 की आराजी में से 03 बीघा 10 बिस्वा आराजी उनके द्वारा क्रय की गई है और कब्जा प्राप्त किया गया है परन्तु उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया है । अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित तहरीर के आधार पर अपीलान्ट के हित वादग्रस्त आराजी में प्रथमदृष्टया निहित नहीं माने जा सकते । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और अपने खाते में दर्ज आराजी के लिए उनके द्वारा

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसको परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए स्वीकार किया है । अपीलान्ट के द्वारा अपील में भी अपने द्वारा क्रय के समर्थन में कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । अपील में यह अंकित किया है कि वो इस पर लम्बे समय से काबिज हैं परन्तु अपने कब्जे के समर्थन में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्वरत नजीरें यहॉ चस्पा होती हैं । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । इस तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा